परिपत्र सं0. 7/7/2017-जीएसटी

एफ.सं0. 349/164/2017/-जीएसटी
भारत सरकार
वित मत्रांलय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी नीति स्कंध

नई दिल्ली, दिनांक 01 सितंबर, 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केन्द्रीय कर(सभी) प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सभी)

विषय: फार्म जीएसटीआर-3बी के साथ फार्म जीएसटीआर-1 और फार्म जीएसटीआर-2 में प्रस्तुत की गई जानकारी का प्रणाली आधारित पुनर्मेल के संबंध में

सीजीएसटी नियमावली, 2017(एत्श्मिनपश्चात् 'नियमावली' के रूप में संदर्भित) नियम 59, 60 और 61 के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम, 2017(एत्श्मिनपश्चात् 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) धारा 37, 38 और धारा 39 में क्रमशः फार्म जीएसटीआर-1 में किसी माह में की गई बहिर्गामी आपूर्तियों का ब्यौरा, फार्म जीएसटीआर-2 में किसी माह में प्राप्त की गई आवक आपूर्तियों के ब्यौरे और फार्म जीएसटीआर-3 में रिटर्न अगले माह की क्रमशः 10, 15 और 20 तिथि तक प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है । इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि करदाता जीएसटी की शुरूआत के पश्चात् प्रारम्भिक दिनों में कुछ मुद्दों का सामना कर सकते हैं, तो जीएसटी परिषद ने जुलाई और अगस्त, 2017 के महीनों हेतु फार्म जीएसटीआर-1 और फार्म जीएसटीआर-2 को फाइल करने की तिथि बढ़ा दिया और कर की देय अदायगी को किए जाने के पश्चात् अधिसूचित निश्चित तिथियों तक इन दो महीनों के लिए फार्मजीएसटीआर-3बी में एक सरलीकृत रिटर्न को फाइल किया जाना अनुमोदित किया

ı

- 2. जो पंजीकृत व्यक्ति अधिनियम की धारा 140 तथा इसके साथ पठित इसके अतंर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत उपलब्ध संक्रमणकालीन क्रेडिट का उपयोग जुलाई 2017 माह हेतु कर देयता निर्वहन हेतु प्रयोग करने का विकल्प लेना चाहते हैं उनके द्वारा FORM TRAN-1, 28 अगस्त 2017 या उससे पूर्व फाइल किए जाना अपेक्षित है । यह संक्रमणकालीन क्रेडिट इलैक्ट्रानिक क्रेडिट बही में क्रेडिट किए जाने और कर देयता के निर्वहन हेतु उपलब्ध होने थे ।
- 3. नियमावली के नियम 61 के उप नियम (5) के प्रावधानों के अनुसार, जब फार्म जीएसटीआर-1 और फॉर्म जीएसटीआर-2 को फाइल किए जाने की नियत तिथि को बढ़ा दिया गया है फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत करने के पश्चात्, फार्म जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 में प्रस्तुत जानकारी के साथ फार्म जीएसटीआर-3बी में प्रस्तुत विवरण के बीच पुनर्मेल की प्रक्रिया को नियमावली के नियम 61 के उप-नियम (6) के प्रावधानों के अनुसार कार्यांवित किया जाएगा।
- 4. फॉर्म जीएसटीआर-3 और फॉर्म जीएसटीआर-3बी में प्रस्तुत की गई जानकारी के **पुनर्मेल** के लिए विस्तृत प्रक्रिया का विवरण उत्तरवर्ती पैरा में दिया गया है।

फार्म जीएसटीआर-1 और फार्म जीएसटीआर-2 में जानकारी का प्रस्तुत किया जाना:

5. यह नोट किया जा सकता है कि पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न और फार्म जीएसटीआर-1 में बिहर्गामी आपूर्तियों का विवरण फाइल करने के पश्चात् आगम आपूर्तियों को सभी पंजीकृत व्यक्तियों (आपूर्ति के संबंधित प्राप्तकर्ताओं) हेतु स्वतः प्रालेखित कर नियमावली के नियम59 के उप-नियम (3) के अनुसार फार्म जीएसटीआर-2ए में उनके लिए उपलब्ध कराया जाएगा । फार्म जीएसटीआर-2ए फार्म जीएसटीआर-2 की सटीक प्रतिकृति है जिसमें वे ब्यौरे ही शामिल है जो समरूपी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा फार्म जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए गए ब्यौरों से स्वतः आवासित हैं । फार्म जीएसटीआर-2ए में संसूचित ब्यौरों के आधार पर, पंजीकृत व्यक्ति फार्म जीएसटीआर-2 में आगम आपूर्तियों का विवरण निम्निलिखित द्वारा तैयार करेगा:-

- क. फार्म जीएसटीआर-2ए में संसूचित इन्वॉइस स्तरीय विवरण को जोड़ना, हटाना या संशोधित करना;
- ख. जीएसटीआर-2 में प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित सूचना किंतु जो फार्म जीएसटीआर-2ए के भाग नहीं हो जैसे आयातों का ब्यौरा, आपूर्तियां जिन पर रिवर्स चार्ज लगता है जो पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए हैं, से संबंधित सूचनाओं को जोड़ना;
- ग. कंपोजीशन आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त आपूर्तियों और छूट-प्राप्त, जीरो-रेटेड और गैर जीएसटी आवक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रदान करना;
- घ. समायोजनों के साथ रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आने वाली, यदि कोई हो, आवक आपूर्तियों पर किए गए अग्रिम भुगतान के ब्यौरे उपलब्ध कराना;
- ङ. नियमावली के नियम 37, 39, 42 और 43 के प्रावधानों के अनुसार आईटीसी के वापसी का ब्यौरा, यदि कोई हो, प्रदान करना; तथा
- च. आवक आपूर्ति के एचएसएन वार संक्षिप्त ब्यौरे प्रदान करना ।

फार्म जीएसटीआर-3ख में प्रस्तुत गलत विवरण का सुधार:

6. यदि पंजीकृत व्यक्ति फार्म जीएसटीआर-3ख में प्रस्तुत किसी ब्यौरे में संशोधन की मंशा रखता है, तो इसे फार्म जीएसटीआर-1 या फार्म जीएसटीआर-2, जैसा भी मामला हो, में किया जा सकता है । उदाहरण के लिए, फार्म जीएसटीआर-1 में विवरण तैयार और प्रस्तुत करते समय, यदि बहिर्गामी आपूर्तियों को फार्म जीएसटीआर-3ख में कम रिपोर्ट किया गया या अधिक रिपोर्ट किया गया है, तो इसे फार्म जीएसटीआर-1 में सही रूप में रिपोट्र किया जाए । इसी प्रकार, यदि आवक आपूर्ति अथवा पात्र आईटीसी के ब्यौरे कम या जो वे होने चाहिए से अधिक रिपोर्ट किए गए हैं, तो इसे फार्म जीएसटीआर-2 में सही रूप में रिपोर्ट किया जाए । यह पंजीकृत व्यक्ति के संशोधित जावक कर देयता या पात्र आईटीसी, जैसा भी मामला हो, में प्रतिबिम्बित होगा । फार्म जीएसटीआर-1 और फार्म जीएसटीआर-2 में प्रस्तुत ब्यौरे उक्त माह के लिए फार्म जीएसटीआर-3 में स्वत:--आवासित और प्रतिबिम्बत होंगे ।

प्रणाली-आधारित समायोजन पर कार्रवाई:

7. नियत तिथि तक फार्म जीएसटीआर-2 में आवक आपूर्ति का विवरण को पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, सर्वमान्य पोर्टल फार्म जीएसटीआर-1 और फार्म जीएसटीआर-2 में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर उक्त माह हेतु फार्म जीएसटीआर-3 में रिर्टन का भाग-क स्वत:-प्रालेख होगा । जावक कर देयता और इनपुट कर क्रेडिट के संशोधित आंकड़ों के आधार पर, फार्म जीएसटीआर-3 के भाग ख की तालिका 12 को उपलब्ध कराया जाएगा । सर्वमान्य पोर्टल फार्म जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 में दी गई सूचना पर आधारित,फार्म जीएसटीआर-3 की तालिका 12 के स्तम्भ (2) में देय कर के सही आंकड़ों को आवासित करेगा । फार्म जीएसटीआर-3बी में रिर्टन में इलैक्ट्रानिक नकद बही और इलैक्ट्रानिक क्रेडिट बही के माध्यम से अदा किया गया कर फार्म जीएसटीआर-3 के भाग ख की तालिका 12 के स्तम्भ (3) से (7) में प्रदर्शित होंगे । जहां फार्म जीएसटीआर-3बी में प्रस्तुत आउटपुट कर देयता और पात्र इनपुट कर क्रेडिट के ब्यौरों और फार्म जीएसटीआर-1 और फार्म जीएसटीआर-2 में प्रस्तुत ब्यौरों के बीच कोई भिन्नता नहीं है, तो कर देयता और भुगतान किए गए कर की राशि फार्म जीएसटीआर-3ख और फार्म जीएसटीआर-3 में समान होगी । संबद्ध व्यक्ति कर की अतिरिक्त अदायगी के बिना फार्म जीएसटीआर-3 पर हस्ताक्षर कर उसे जमा कर सकेगा ।

करों का अतिरिक्त भुगतान:

8. जहां फार्म जीएसटीआर-3 के अनुसार किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा देय कर फार्मजीएसटीआर-3ख के अनुसार अदा किए गए कर से अधिक है, तो सर्वमान्य पोर्टल नियम 61 के उप-नियम (6) के खण्ड (ख) के अधिदेश के अनुसरण में, करों का अतिरिक्त भुगतान किए जाने हेतु तालिका 12 का एक अन्य हण्टांत प्रदर्शित करेगा । चूंकि फार्म जीएसटीआर-3 की तालिका 12 के स्तम्भ (2) में देय कर फार्म जीएसटीआर-3 बी में दर्शाए कर से अधिक है, तो कर देयता की अतिरिक्त राशि 26 अगस्त, 2017 से जमा की तिथि तक कर देयता की विलम्बित देयता पर अधिनियम की धारा 49 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार लागू ब्याज सहित इलैक्ट्रानिक नकद या ऋण बही में डेबिट किए जाने के माध्यम से भुगतान की जा सकती है । यदि फार्म जीएसटीआर-2 में व्यक्ति द्वारा दावा की गई पात्र आईटीसी और फार्म जीएसटीआर-3ख में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई आईटीसी से कम है, तो इसे उसकी आउटपुट कर देयता में जोड़ा जाएगा और प्रक्रिया को पूरा किए जाने हेतु फार्म जीएसटीआर-3 में रिर्टन प्रस्तुत किए जाने से पूर्व अधिनियम की धारा 49 में समाविष्ट

प्रावधानों के अनुसार इलैक्ट्रानिक रोकड़ अथवा क्रेडिट बही जमा किए जाने के माध्यम से ब्याज सिहत उसके द्वारा अदा किया जाना होगा । यह नोट किया जाए कि जहां फार्म जीएसटी TRAN-1 में यथा उद्घोषित संक्रमणकालीन क्रेडिट इलैक्ट्रानिक बही में क्रेडिट किया गया हो, तो इसे उक्त अतिरिक्त कर देयता के भुगतान हेतु प्रयोग किया जा सकता है ।

पात्र आईटीसी का अतिरिक्त दावा:

9. जहाँ फार्म जीएसटीआर -3ख में करदाता द्वारा दावा पात्र आईटीसी, फार्म जीएसटीआर-2 में प्रस्तुत ब्यौरे के अनुसार पात्र आईटीसी, से कम है, आईटीसी की अतिरिक्त राशि पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में जमा किया जाएगा जब वह फार्म जीएसटीआर-3 (नियम 61 के उप-नियम (6) के खंड (ग) के अनुसरण में) में विवरण प्रस्तुत करता है । तथापि , साथ ही, यदि आउटपुट कर दायित्व में वृद्धि हुई है, तो पंजीकृत व्यक्ति बढ़ी हुई कर देयता की अदायगी हेतु, यदि अपेक्षित हो, इलैक्ट्रानिक नकद खाता बही में शेष सिहँत फार्म जीएसटीआर-2 में प्रस्तुत ब्यौरों के अनुसार पात्र आईटीसी की इस अतिरिक्त राशि का उपयोग कर सकता है और फार्म जीएसटीआर-3 में अपनी रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है ।

आउटपुर कर देयता में कटौती:

10. जहाँ फार्म जीएसटीआर-1 और फार्म जीएसटीआर-2 में प्रस्तुत किए गए ब्यौरों के अनुसार प्रजीकृत व्यक्ति की आउटपुट कर देयता फार्म जीएसटीआर-3ख में प्रस्तुत ब्यौरों के अनुसार आउटपुट कर देयता से कम है और इनपुट कर क्रेडिट जिसका वह हकदार है, में एक तद्नुरूपी कटौती समान के द्वारा प्रतिसंतुलित नहीं है, अतिरेक को करदाता द्वारा अगले माह के आउटपुर देयता के प्रति समायोजित किए जाने हेतु अगले माह के विवरण में आगे बढ़ाया जाएगा जब वह हस्ताक्षर कर फार्म जीएसटीआर-3 में विवरण प्रस्तुत करता है। तथापि, साथ ही, यदि पात्र इनपुट कर क्रेडिट में कोई कमी आती है, तो इसे आउटपुट कर देयता में उपर्युक्त कमी के समक्ष व्यवस्थित किया जाएगा और आउटपुट कर देयता में कमी का शेष, यदि कोई हो, को अगले माह की आउटपुट देयता के प्रति समायोजित किए जाने हेतु अगले माह के विवरण में आगे बढ़ाया जाएगा।

करों के भ्गतान के बिना जीएसटीआर-3ख की प्रस्त्ती:

- 11. जहाँ, कुछ कारणों से, पंजीकृत व्यक्ति ने केवल फार्म जीएसटीआर-3बी में विवरण प्रस्तुत किया है और उसके इलेक्ट्रॉनिक नकद बही अथवा क्रेडिट खाता बही से इसे डेबिट किए जाने के द्वारा करों की अदायगी नहीं की गई है, तो प्रस्तुत विवरण उपर्युक्त यथा विस्तारित पुनर्मेल प्रक्रिया के अब भी अध्यधीन होगी । ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को फार्म जीएसटीआर-1, फार्म जीएसटीआर-2 में ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए और अधिनियम की धारा49 के प्रावधानों के अनुसार देय करों की अदायगी के साथ फार्म जीएसटीआर-3 को हस्ताक्षर कर विवरण दाखिल करना चाहिए । तथापि , चूंकि अदायगी देय तिथि को या उसके पूर्व नहीं की गई थी, तो पंजीकृत व्यक्ति, 26 अगस्त, 2017 से इलेक्ट्रानिक नकद और/ या क्रेडिट खाता बही में डेबिट की तिथि तक कर की विलम्बित देयता पर ब्याज की अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा, किंतु किसी भी विलंब शुल्क का भुगतान किए जाने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा बशर्त फॉर्म जीएसटी-3 बी में अपेक्षित विवरण नियत तिथि को या उससे पहले जमा किया किया हो ।
- 12. जहाँ पंजीकृत व्यक्ति ने फार्म जीएसटीआर-3बी में विवरण दाखिल नहीं किया है, तो उसे फार्म जीएसटीआर-1 और फार्म जीएसटीआर-2 में ब्यौरों को प्रस्तुत कर अधिनियम की धारा49 के प्रावधानों के अनुसार देय करों की अदायगी के साथ फार्म जीएसटीआर-3 में विवरण को हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। तथापि, चूंकि देय तिथि को अथवा उससे पूर्व अदायगी नहीं की गई थी, तो पंजीकृत व्यक्ति 26 अगस्त, 2017 से इलैक्ट्रानिक नकद और / या क्रेडिट खाता बही में डेबिट की तिथि तक शुरू होने वाली कर की विलम्बित अदायगी पर ब्याज की अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा। फिर भी, अधिसूचनासं0.28/2017-केन्द्रीय कर दिनांक 01.09.2017 के तहत यथा अधिसूचित, जीएसटी परिषद् की अनुशंसा के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 47 के अनुसार विवरण देरी से फाइल किए जाने हेतु कोई विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा।

प्रस्तुत जानकारी का प्रसंस्करण:

13. फार्म जीएसटीआर-1 और फार्म जीएसटीआर-2 में जानकारी की प्रस्तुति के पश्चात, नियमावली के नियम 69 से 76 के साथ पठित अधिनियम की धारा 41, 42 और 43 के अनुसार मिलान की प्रक्रिया क्रियान्वित की जाएगी जैसे कि ये विवरण नियमित पाठ्यक्रम में प्रस्तुत किए गए थे। फार्म जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 में प्रस्तुत किए गए ब्यौरों में कोई संशोधन क्रमश: अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (3) और धारा 38 की उप-धारा (5)

के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा । विवरण को एक वैध विवरण के रूप में माना जाएगा जब फार्म जीएसटीआर-3 के अनुसार देय कर पूर्णतः अदा किया गया है जिसके बाद विवरण को मिलान हेतु लिया जाएगा ।

14. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र के संदर्भों को प्रचारित किए जाने हेतु उचित व्यापार नोटिस जारी किए जाएं ।

15. उपरोक्त अनुदेशों के कार्यावयन में किठनाई, यदि कोई हो, को कृपया बोर्ड के नोटिस में लाया जाए ।

(उपेंद्र गुप्ता) आयुक्त (जीएसटी)